अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख 12.12.17 से 06.02.19 तक

जिला– राँची, वाद संख्या– 26 सन्– 2017–18 ।

वाद का प्रकार– **दाखिल खारिज अपील**

अर्जीकार– **पूर्ण चन्द्र महतो** प्रतिपक्षी– **अंचल अधिकारी, सोनाहातु** ।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
06.02.19	अपीलार्थी–पूर्णचन्द्र महतो पिता–रघुनाथ महतो, ग्राम–बारूहातु, डाकघर–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–22 R27/2015-16/सोनाहातु में दिनांक–07/27/2015 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बारूहातु	सोनाहातु/60	143	1422	11 डी०

अपीलार्थी ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, सोनाहातु को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अंचलाधिकारी, सोनाहातु से मूल अभिलेख की मांग की गयी साथ ही आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार आवेदक ने उपरोक्त जमीन श्रीमती नुनीबाला देवी, पति–श्री सोनाराम महतो, ग्राम–बारूहातु, टोला दानाडीह, थाना–सोनाहातु से विक्रय पट्टा सं०–1958/7462 द्वारा दिनांक–05.9.1996 को विक्रय पत्र द्वारा हासिल किया है। उक्त भूमि बिक्री पट्टा से प्राप्त करने के पश्चात आवेदक उक्त जमीन में दखल–कब्जा रहते हुए न्यायालय, अंचलाधिकारी, सोनाहातु को दाखिल खारिज हेतु आवेदन दाखिल किया। जिसे अंचल अधिकारी, सोनाहातु द्वारा दिनांक–27/07/2015 को कर्मचारी के अनुशंसा के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया।

पुनः विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि पट्टा निबंधन के समय सी.एन.टी. एक्ट प्रभाव में नहीं था जिस कारण निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी का पट्टा निबंधित किया गया। सरकार के पत्रांक–7 दिनांक 01.03.2012 को सी.एन.टी. एक्ट प्रभावी करते हुए पत्र निर्गत है जिसमें सूचीबद्ध जाति का बिक्री स्वीकृति आवश्यक है। अपीलार्थी का पट्टा उक्त तिथि से पूर्व का है। इस आधार पर मेरी अपील स्वीकृत की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेज तथा अंचल अधिकारी, सोनाहातु के पत्रांक–179(ii) दिनांक–21/06/2018 द्वारा प्राप्त नामांतरण मुकदमा सं०–22 R27/2015-16/सोनाहातु का मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। अंचलाधिकारी, सोनाहातु ने राजस्व कर्मचारी के अनुशंसार के आलोक में नामांतरण अस्वीकृत किया है।

उपरोक्त वर्णित भूमि के हस्तांतरण के पूर्व उपायुक्त से अनुमति नहीं ली गयी है, उक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 1(बी) का उल्लंघन हुआ है। अतः अपील वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

06/02/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)।

06/02/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)